न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

प्रकरण संख्या :— 72/2019 निर्णय दिनांक 19-11-19

उनवान

1. रामगोपाल
2. सत्यनारायण
3. रामराय
4. गणपत
5. गजानन्द
6. मूलचंद पुत्रान म्होरू
7. रामकल्याण
8. कैलाश

9 श्योजीराम पुत्रान जगदीश

10. शिव प्रसाद पुत्र उदा
11. बंशी लाल
12. हनुमान
13. राधाकिशन पुत्रान छोटू
14. हरि पुत्र नीमा
15. बिहार लाल
16. शंकरलाल
17. रामस्वरूप पुत्रान गणेश

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

——अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत।

प्रार्थीगण ग्रम गणेश पुरा तहसील चाकसू के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 222 से 228, 291, 296 से 299, 182/596, 183/595, 184/594, 186/593, 187/592, 188/591, 189/590, 190/589, 209, 210, 213/585, 214/586, 216/587, 217, 218 आदि कुल किता 54 भूमि वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील चाकसू में स्थित है जिस भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थया ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार पैश किया गया कि रिपोर्ट मोका स्थिति व राजस्व नक्शे में काफी भिन्नता है। मौके पर विवादास्पद स्थिति है। उक्त भूमि का भू– प्रबन्धन विभाग द्वारा ईटीएस मशीन द्वारा किया जाना संभव है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो यदि आस पास के खसरो में फसल नही हो तो प्रार्थिया की भूमि पर श्रीमान भू–प्रबन्धन अधिकारी से ईटीएस मशीन मंगवाकर नियमानुसार पत्थर गढी की करवायी कार्यवाही की जावे।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 222 से 228, 291, 296 से 299, 182/596, 183/595, 184/594, 186/593, 187/592, 188/591, 189/590, 190/589, 209, 210, 213/585,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

214 / 586, 216 / 587, 217, 218 आदि कुल किता 54 भूमि वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील चाकसू में स्थित है की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद ईटीएस मशीन द्वारा पत्थरगढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.03 16:21:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: